आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर D.N. 115 13-8-2015	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा

अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0– 03/2015–16

तेतरी देवी, अध्यक्ष,
रानी स्वयं सहायता समूह
बनाम
राज्य (झारखण्ड सरकार)

आदेश

20.7.2015 यह वाद आवेदिका तेतरी देवी, पति– श्री देवेन्द्र चौधरी, ग्राम– सोनपुरवा, थाना– मझिआंव, जिला, गढ़वा रानी स्वयं सहायता समूह की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक– 19.01.2015 को अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 रद्द करने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दायर आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

आवेदिका का अपील आवेदन में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 रद्द करने संबंधी पारित आदेश विधि एवं तथ्य दोनो ही दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। लाभूक विरझु चौधरी, सुरेश चौधरी, रामलखन चौधरी एवं अन्य कार्डधारियों द्वारा लगाया गया आरोप कि अंत्योदय एवं बी0पी0एल0 का अनाज 60 रू0 में दिया जाता है एवं कभी–कभी नही भी दिया जाता है, काल्पनिक एवं मनगढंत है। रानी स्वयं सहायता समूह के विक्रेता द्वारा जो डांटने एवं शहीद अली खान द्वारा नवम्बर 2014 का राशन नही मिलने की जो बात बताई जा रही है, वह भी काल्पनिक है। इसी प्रकार आवेदिका के आवेदन में यह भी कहना है कि रानी स्वयं सहायता समूह का अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए कारणपृच्छा की मांग की गई थी परन्तु उपस्थित नही रहने के चलते कारणपृच्छा दाखिल नही कर सकी। दूसरी ओर समूह के सदस्य राधा देवी द्वारा लगाया गया आरोप की सदस्यों की बैठक माह में एक बार होती है एवं दुकान का संचालन उनके पति द्वारा किया जाता है, स्वार्थवश ऐसा आरोप लगाया गया है। आवेदिका द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुरूप निर्धारित मात्रा में अनाज एवं किरासन तेल का वितरण किया गया है, जो पंजी में दर्ज है। इन्होने अपने अपील आवेदन में रानी स्वयं सहायता समूह के अनुज्ञप्ति संख्या 07/2010 को बहाल रखने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहें। फलस्वरूप अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया है कि इस वाद के अपीलकर्ता तेतरी देवी रानी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हैं, जो जनवितरण प्रणाली दुकान का संचालन करतीं हैं। कतिपय लाभूकों द्वारा अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर आवेदिका के विरूद्ध कम अनाज देने, राशि अधिक लेने एवं डांट–फटकार करने का जो आरोप लगाया गया है, मनगढ़ंत एवं झूठा है। आवेदिका द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुकूल निर्धारित मात्रा में लाभूकों के बीच अनाज एवं किरासन तेल का उचित मूल्य पर वितरण किया जाता रहा है। जहां तक कारणपृच्छा का जवाब नही

का उचित मूल्य पर वितरण किया जाता रहा है। जहां तक कारणपृच्छा का जवाब नही देने की बात है तो जिस समय आवेदिका से कारणपृच्छा किया गया था उस समय वे उपस्थित नही थीं। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा का अपने आदेशफलक में यह कहना है कि रानी स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता से कारणपृच्छा की मांग की गई थी, जो अप्राप्त है एवं विक्रेता की स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन को प्रदर्शित करता है, उचित नही कहा जा सकता है, क्योंकि आवेदिका उस समय उपस्थित थीं ही नही। अपने तर्क में उन्होने अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 को रद्द करने संबंधी दिनांक– 19.01.2015 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 को पुनः बहाल करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ–साथ संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका तेतरी देवी, अध्यक्ष रानी स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण में बरती गई अनियमितता एवं भंडार पंजी तथा प्रदर्शन पट्ट अद्यतन नही रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 को रद्द किया गया है। निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मझिआंव का प्रतिवेदन एवं स्थानीय लोगों का लिखित बयान से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा बी0पी0एल0 कार्डधारियों को 33 कि0ग्रा0 चावल का 60 रू0 मूल्य लिया जाता है तथा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का नियमित रूप से वितरण नही किया जाता है। नियमित रूप से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण नही किया जाना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली किया जाना सरकारी प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों के प्रतिकूल है। अपीलार्थी की ओर से अपने दावे की पुष्टि में कोई भी ऐसा प्रमाणिक साक्ष्य नही दिया गया है, जो इन्हे निर्दोष प्रमाणित कर सके। इस स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 को रद्द करने संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना वैधानिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नही होता है।

फतलः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी तेतरी देवी, अध्यक्ष, रानी स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा निम्न न्यायालय वाद संख्या– 03/2015 में अनुज्ञप्ति संख्या– 07/2010 रद्द करने संबंधी दिनांक– 19.01.2015 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

20/1/19

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

20/1/19

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 15:17:23 +05:30
Location: 192.168.31.7